महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद--झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 396 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 26.06.2019

विषयः- **पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) के वाहनों के परिचालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के निर्गत परिपत्र संख्या-2007/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 30.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें-योजना में वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आऊट सोर्सिंग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो के चयन की कार्यवाही, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद /निदेशालय, पशुपालन विभाग, द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम् से कमित होने एवं शासन के पत्र संख्या-2680/37-2-2016-1(32)/2015टी0सी0-1, दिनांक 14.12.2016 द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के दृष्टिगत, वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना में आउटसोर्सिग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम् से वाहन चालकों की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुबन्धित फर्म से ही दिनांक 30 जून,2019 तक किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

सन्दर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-391/यू0पी0एल0डी0बी0/ए0इ0एस0/मै0पा0, दिनांक 26 जून,2019 द्वारा अवगत करायी गई सूचना के अनुरूप केन्द्रीयकृतरूप से आमंत्रित ई-निविदा के सापेक्ष सर्विस प्रदाता फर्म के चयन अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कमित/पूर्ण किये जाने में अभी एक माह से अधिक का समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदों द्वारा अनुबन्धित सेवा प्रदाता फर्म से ही, योजना के वाहनों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय चतुर्थांश(03-माह)-माह-सितम्बर,2019 तक परिचालन कराने हेतु शासन से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रत्याशा में, आपको अनुबन्ध की शर्तो/प्रतिबन्धों के सापेक्ष सेवा प्रदाता फर्म से माह-सितम्बर,2019 तक के लिये, फर्म से सहमति लेकर

वाहन चालकों की व्यवस्था करना सुनिश्चित् करें। शासन से प्रकरण पर अन्य निर्गत निर्देशों के सम्बन्ध में आपको तत्समय अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 यू0 पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(डा0 यू0 पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।